भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1762

बुधवार, 8 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में 'मेक इन इंडिया' परियोजना

1762. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में 'मेक इन इंडिया' (एमआईआई) परियोजना का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) कर्नाटक में एमआईआई परियोजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की जिले-वार संख्या कितनी है;
(ग) एमआईआई परियोजना के तहत झारखंड में आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) एमआईआई के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (घ): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश संवर्धन, नवप्रयोग को प्रोत्साहन, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना बनाना और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। यह अपनी तरह की पहली "वोकल फॉर लोकल" पहल थी जिसने विश्व के समक्ष भारत के विनिर्माण क्षेत्र को प्रस्तुत किया। 'मेक इन इंडिया' पहल किसी राज्य/जिला/शहर/क्षेत्र विशिष्ट की पहल नहीं हैं बलकि इसे देश भर में लागू किया जा रहा है।

'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत अब 27 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्रवाई योजना का समन्वय कर रहा है जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है।

भारत सरकार इंवेस्ट इंडिया को वित्तीय सहायता सहित निवेश सुविधा के अंतर्गत सतत प्रयास कर रही है ताकि संभावित निवेशकों की पहचान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। मेक इन इंडिया बैनर के अंतर्गत देश में निवेश आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम, शिखर सम्मेलन, रोड-शो तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के आयोजन हेतु विदेश में स्थित भारतीय मिशनों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए निवेश आउटरीच क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाना शामिल है। देश के निवेश वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 के अनुसार विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 की 142 से उछल कर अब 63वें स्थान पर पहुंच गई है।

डीपीआईआईटी ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके दिसंबर 2014 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक सुधार कार्यक्रम भी आरंभ किया है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के अंतर्गत देश के सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित मानदंडों पर उनके द्वारा किए गए कार्यान्वयन सुधारों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम ने सभी राज्यों में व्यावसायिक माहौल में सुधार करने में मदद की है।

एफडीआई नीतिगत सुधारों के संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप देश में वर्ष दर वर्ष एफडीआई अंतर्वाह बढ़ा है। भारत में कोविड संबंधी व्यवधानों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक का सर्वाधिक 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम आंकड़े) का वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया गया। भारत में एफडीआई के ये रूझान वैश्विक निवेशकों के बीच एक प्राथमिकता वाले निवेश स्थल के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करते हैं। पिछले सात वित्तीय वर्षों (2014-21) के दौरान भारत को 440.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ जो कि पिछले 21 वर्षों में संसूचित एफडीआई (763.83 बिलियन अमरीकी डॉलर) का लगभग 58% है।

सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जारी स्कीमों के अतिरिक्त कई कदम उठाये हैं। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनुपालन बोझ में कमी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन, कार्पोरेट कर में कमी, एनबीएफसी और बैंकों की तरलता संबंधी समस्याओं को कम करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, भारत औद्योगिक लैंड बैंक, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली आदि शामिल हैं। पीएलआई योजनाओं की घोषणा से अगले 5 वर्षों और आने वाले वर्षों के दौरान उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से इस पहल के तहत कार्यकलाप भी किये जा रहे हैं। इन उपायों का ब्यौरा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****